कार्यालय अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

कमांक/पी.जी./छात्र/एम.सी./2025/ <u>3378</u> रीवा, दिनांक <u>5)2)25</u>

¥.

आदेश

नीट पी.जी. 2024 के माध्यम से मेडिकल काउंसलिंग कमेटी नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कोटा के तृतीय चरण की काउंसिलिंग से एम.डी/एम.एस पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र / छात्राओं को उनके नाम के सामने दर्शित विभाग में तीन वर्षीय पी.जी. डिग्री पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की अनुमति अस्थाई तौर पर प्रदाय की जाती है। छात्र तत्काल विभाग में उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।

Sr. No.	Quota	Roll No.	Candidate Name	AIR	Eligible Category	Alloted Category	Course & Subject	Admission Date
1	All India	24661195765	SIMREN	9142	OBC	OBC	M.D. (PAEDIATRICS)	29.01.2025
2	All India	24661141714	VIKAS PATEL	23628	OBC	OBC	M.D. (ANAESTHESIOLOGY)	29.01.2025

अध्ययन की शर्तें

- पी.जी. पाठ्यकम पूर्णकालीन पाठ्यकम है, पाठ्यकम की अवधि के दौरान छात्र / छात्राओं की प्राइवेट प्रेक्टिस / अंशकालीन नौकरी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
- छात्र / छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता एन.एम.सी. नई दिल्ली / म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के नवीनतम मापदण्ड अनुसार रहेगी।
- 3. जिन छात्र / छात्राओं का म.प्र. मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नही हैं, वे प्रवेश लेने के 1 माह के भीतर म.प्र. मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाकर उसकी पावती छात्र शाखा में जमा करेगे एवं रजिस्ट्रेशन की मूल प्रति प्राप्त होते ही, तत्काल छात्र शाखा में जमा करेगे।
- 4. आप अपनी ज्वाइनिंग रिपोंट सीधे संबंधित विभागाध्यक्ष को तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेगे।

Dean S.S. Medical College

Rewa (M.P.)

5. ज्वाइनिंग के पश्चात् आप अपना कॉलेज आई.डी. बनवायेगे।

हिरदेश सिंह बैस सहा० प्रभारी अधिकारी प्रभारी तिपिक, छात्र शाखा (पी०जी०) सहा० प्रभारी अधिकारी

- केंद्रीय पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए केंद्रीय पुस्तकालय की सदस्यता लेना अनिवार्य होगी।
- ट्यूशन फीस एवं अन्य महाविद्यालयीन शुल्क प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक जमा करना अनिवार्य होगा। विलम्ब की स्थिति में 1 प्रतिशत ब्याज प्रतिमाह देय होगा।
- 8. छात्रावास की सुविधा लेने की स्थिति में छात्रावास शुल्क प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक जमा करना अनिवार्य होगा। विलम्ब की स्थिति में 1 प्रतिशत ब्याज प्रतिमाह देय होगा।
- स्टायफण्ड का भुगतान ज्वाइनिंग तिथि से 36 माह का होगा। अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने अथवा टेन्योर बढ़ने की स्थिति में स्टायफण्ड का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 10. छात्र / छात्राऐं हर समय अपनी सही जानकारी प्रस्तुत करेगें। किसी भी समय गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 11. बिना सूचना के लगातार 15 दिवस या अधिक की अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसमें स्टायफण्ड की कटौत्री से लेकर प्रवेश निरस्त की कार्यवाही शामिल होगी।
- 12. पी.जी. प्रवेश नियम 2017 राजपत्र में प्रकाशित नियम 11 के अनुसार पी.जी. छात्र / छात्राओं पर अवकाश लागू होगा :--
 - 12 (a) One weekly off (non-cumulative).

1542

- 12 (b) Casual leave for 19 days per academic year.
- 12 (c) Entitlement of Maternity leave with stipend during the entire tenure shall be for 180 days with prior permission of the Dean/Principal of the college. Medical certificate must be produced within ten days of proceeding on leave as per M.P. Govt. Department of Medical Education Ministry order no. F5/123/2013/01/55 Bhopal dated 03.06.2013 and G.A.D. order no. F1-7/1/2010/R/4 Bhopal dated 07.06.2010.

12 (d) As per Madhya Pradesh Government Order No. 147 / 4572

/03/55 /M.E.-1, Dated 14-01-04, 15 days Medical leave shall be admissible without stipend with prior permission. Medical certificate of illness has to be submitted within 10 days after proceeding on leave. Medical leave can be availed every year; however, it would be non-cumulative.

S Andrew Cohane

Application for leave shall be submitted to the Dean / Principal through the Head of the Department of subject concerned.

७ अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

पृ. कमांक∕पी.जी.⁄छात्र⁄एम.सी.⁄2025/ ८८२२/८८२२िवा, दिनांक ७५५०२०२७ प्रतिलिपिः—

- 1. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एंव चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल, म.प्र. ।
- 2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- विभागाध्यक्ष एनीस्थियॉलोजी / पीडियाट्रीक्स विभाग चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4. छात्रपाल, पी.जी. छात्रावास बालक / कन्या की ओर भेजकर लेख है कि, संबंधित छात्र / छात्राओं को छात्रावास शुल्क जमा होने की रसीद प्रदाय करनें के बाद ही छात्रावास में रहने की अनुमति प्रदाय करें।
- 5. प्रभारी अधिकारी, केंद्रीय पुस्तकालय, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा।
- 6. कार्यालय लेखा शाखा, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की ओर सूचनार्थ।
- 7. संबंधित छात्र / छात्रा की ओर वास्ते पालनार्थ।

अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

प्रभारी लिपिक, छात्र शाखा (पी०जी०)